क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
39.				
40.				

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)	(साक्षी)
1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
Dr. SURESH KUMAR AGRAWAL	[अमित नारायण पारीक]
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)	(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
Doctor	सेवानि० सहा० महा० प्रबन्धक, BSNL
94- Doctors Colony Near DCM Ajmer Road, Jaipur	291, खूटेटों का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
DISTRICT JAIPUR (RAJ.)

J.R. Pal, Advocate, Distt. Jaipur Raj, Regn. No. 6715, GOVT. OF INDIA

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष — मंत्री — कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

(6)

"आशा किरण" संस्था समाज सेवी ~~समिति/सोसाइटी/संस्थान~~/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम "आशा किरण" संस्था समाज-सेवी ~~समिति/सोसाइटी/संस्थान~~/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय C-A-A मोहन पथ, बापू नगर जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

संस्था के कार्य "न लाभ न हानि" के सिद्धान्त पर किये जायेंगे।

1. समाज के कमजोर वर्ग एवं रोगियों की सभी प्रकार से निःशुल्क सहायता करना जैसे औषधियां, भोजन, वस्त्र, धन, बच्चों की शिक्षा तथा पुनर्वास
2. रोगियों तथा उनके परिजनों को मानसिक तौर पर पुनर्वासित करना।
3. जन साधारण में, विभिन्न रोगों के प्रति बचाव तथा इलाज में सावधानी रखने हेतु जन चेतना जाग्रत करना।
4. चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत अन्य राजकीय/निजी संस्थाओं की सहायता करना।
5. चिकित्सा हेतु आवश्यक मशीन/उपकरण आदि क्रय करना/करवाना।
6. विभिन्न रोगों से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाला साहित्य, पोस्टर, फोटो, फिल्म आदि तैयार करा कर वितरण कराना/प्रदर्शनी लगाना तथा इस कार्य में राजकीय संस्थाओं की मदद करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — मंत्री — कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

Customer Sign In My Presence & ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name........
Emp. Code........

रोगों की रोकथाम तथा चिकित्सा संबन्धी बैठकें, सेमिनार, विचार-गोष्ठी आदि आयोजित करना।

8. ग्रामीण/शहरी बस्तियों में चिकित्सा शिविर लगाना।

9. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों, समूहों, बैंकों, सहकारी समितियों, विभिन्न ट्रस्टों, वित्तीय संस्थाओं, कम्पनियों, राज्य/केन्द्रीय सरकारों एवं राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं आदि से दान/सहायता/ऋण/ग्रान्ट, भूमि-भवन आदि प्राप्त करना।

10. असहाय व्यक्तियों की सहायता हेतु जन सहयोग से प्राप्त सभी प्रकार की वस्तुओं को जरूरतमन्दों में वितरित करना।

11. शिक्षण संस्थाओं/सुधारगृहों/प्रशिक्षण संस्थानों आदि का निर्माण एवं संचालन करना तथा इन कार्यों हेतु राजकीय/अर्द्ध राजकीय/निजी संस्थाओं से भूमि, भवन एवं अन्य सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करना।

12. अन्य सभी कार्य जो विभिन्न रोगों की रोकथाम एवं इलाज में सहायक हों।

13. ....

....

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN
President   Secretary   Treasurer

(7)

4. सदस्यता :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–
1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2- बालिग हों।
3- पागल, दीवालिये न हों।
4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–
1-संरक्षक
2-~~विशिष्ठ~~ संवर्धक
3-सम्माननीय
4-~~साधारण~~ स्थापना सहयोगी
5. आजीवन
6. मुख्य संरक्षक
7. विशेष आमन्त्रित
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :– उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–
1-संरक्षक राशि 1,00,000/- ~~वार्षिक~~/आजन्म
2-~~विशिष्ठ~~ संवर्धक राशि 11000/- ~~वार्षिक~~/आजन्म
3-सम्माननीय राशि शून्य वार्षिक
4. ~~साधारण~~ स्थापना सहयोगी राशि 2000/- वार्षिक अथवा आवश्यकतानुसार
5. आजीवन राशि 5000/- एक बार
उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. 500/- की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–
1-मृत्यु होने पर
2-त्याग-पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN
President   Secretary   Treasurer

Customer Sign In My Presence & ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name........
Emp. Code........

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

Pushpa Goyal अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN

President   Secretary   Treasurer

(8)

11. कार्यकारिणी का गठन :– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक   2. उपाध्यक्ष-~~एक~~ दो (~~प्रथम एवं द्वितीय~~) वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

3. मन्त्री-एक   4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-~~सात~~ चार, 6. सह मन्त्री - एक

7. महा प्रबन्धक - एक

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ~~7~~ 06 पदाधिकारी व ~~4~~ 05 सदस्य कुल 11 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :– संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

Pushpa Goyal अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN

President   Secretary   Treasurer

Customer Sign In My Presence & ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name.........
Emp. Code.........

14. कार्यकारिणी की बैठकें :– 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :– संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN

President Secretary Treasurer

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

मन्त्री

कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN

President Secretary Treasurer

Customer Sign In My Presence
&
ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name........
Emp. Code........

(10)

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :–

1- अध्यक्ष 10000/- रु.

2- मंत्री 5000/- रु.

3- कोषाध्यक्ष 4000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) आशा किरण - समाज सेवी ~~समिति/सोसायटी/संस्थान~~/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

Stamp: राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 19 के तहत यह प्रमाणित किया जाता है कि यह नकल ... पृष्ठ सं. 01 से 10 ... 1. नकल ... 20/05/04 2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

Stamp: 1. संस्था का ... 2. ... आशा किरण ... 3. ... 16 ... 20-05-2004

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

मंत्री

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

(11) (10)

शपथ-पत्र का प्रपत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष प्रस्तावित संस्था आशा किरण का सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था आशा किरण के पंजीयन हेतु कुल .... आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है!

अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष

नोट :- प्रस्तावित संस्था के तीन पदाधिकारियों द्वारा पृथक्-पृथक् शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार 10/- रुपये के पृथक्-पृथक् स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कर प्रस्तुत किये जावे। शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता को पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा की जाकर प्रमाणित करवायी जावे।

Pushpa Goyal
अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

For - ASHA KIRAN
President Secretary Treasurer

Customer Sign In My Presence & ORIGINAL SEEN & VERIFIED
Emp. Name ....
Emp. Code 53384.9